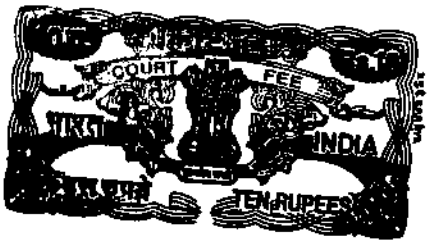

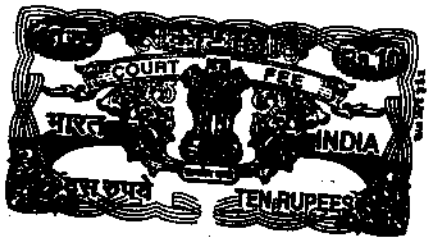

न्यायालय मध्यप्रदेश राज्य मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

निग 2548-पीबीआर/16

रिवीजन प्रकरण कमांक /16

1. रतन सिंह वयस्क आत्मज सुन्दरलाल परमार
2. राकेश पुत्र माखन सिंह परमार वयस्क
3. राहुल पुत्र माखन सिंह परमार, वयस्क

तीनों निवासी ग्राम अरावतखुर्द
तह0 हुजूर जिला भोपाल -- आवेदकगण

विरुद्ध

अष्टम बिल्डर्स द्वारा साझेदार
श्री जय प्रकाश जैन अत्मज स्व0
वी0एल0जैन निवासी 44, जोन 2
एम0पी0नगर भोपाल -- अनावेदक

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

आवेदकगण माननीय न्यायालय तहसीलदार नजूल वृत्त एम0पी0नगर भोपाल द्वारा पारित आदेश दि0 28/6/16 जो उन्होंने प्रकरण कं. 01/अ-70/16-17 अष्टम बिल्डर्स विरुद्ध रतन सिंह में पारित धारा 38, 250 (2) धारा 250 (क) तथा धारा 250 (ख) के अंतर्गत आवेदक को अनावेदक से भूमि स्थित ग्राम अमरावतखुर्द खसरा कमांक 10/14 में से 0.25 एकड का कब्जा दिलाये जाने के आदेश से दुखी होकर यह रिवीजन प्रस्तुत किया जा रहा है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2486 –पीबीआर/16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–7–2016	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–6–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रथमतः अपर तहसीलदार नजूल द्वारा पारित आदेश अपीलीय आदेश है जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाना प्रतिबंधित है । इसके अतिरिक्त आवेदक का यह दायित्व था कि वह सीमांकन के संबंध में जिन आधारों को इस न्यायालय में तर्क के दौरान प्रस्तुत किया गया है, उन पर सीमांकन को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती देते, परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त कार्यवाही नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 6–2–15 के पालन में अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमि जिस पर आवेदकगण द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, अनावेदक को वापिस दिलाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	